फर्द अहकाम

कार्यालय सहायक कलक्टर(SDO) मावली, उदयपुर

प्रार्थी :– श्री उदयसिंह | विपक्षी :– श्री मनोहरसिंह

किस्म मुकदमा – 128 भू.रा.अधि. | पत्रावली संख्या : 51/20

कमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई

दिनांक 24.11.2021

पत्रावली प्रशासन गांवो के संग अभियान–2021 कैम्प बडगांव में पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थीगण उपस्थित। विपक्षी सं. 5, 14, 15 स्वयं उपस्थित होकर पत्थरगढी किया जाने का निवेदन किया। विपक्षी सं. 1 से 4, 6 से 12, 16 के नोटिस बाद तामिल प्राप्त। बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे हैं। उभय पक्ष की बहस सुनी।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेज का अध्ययन किया। उभय पक्षकारान की बहस पर मनन किया। प्रार्थीगण द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाने का निवेदन किया।

प्रार्थीगण द्वारा प्रकरण में पत्थरगढी किया जाने का निवेदन किया। प्रार्थनाग्रस्त भूमि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि हैं। विपक्षीगण प्रार्थीगण की भूमि के पडोसी खातेदार हैं। प्रार्थनाग्रस्त भूमि की सीमा को लेकर प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण के मध्य विवाद बना रहता हैं। अतः विवाद समाप्ति के लिए पत्थरगढी किया जाना उचित हैं। विपक्षी सं. 5, 14, 15 द्वारा पत्थरगढी किये जाने पर सहमत्ति व्यक्त की। प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि की सीमा को लेकर विवाद होने से पत्थरगढी किया जाना आवश्यक हैं। अतः प्रार्थना पत्र न्यायहित में स्वीकार किया जाता हैं।

–: आदेश :–

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू. राजस्व अधिनियम का स्वीकार किया जाता है कि मौजा आकोदडा पटवार हल्का बडगांव की आराजी नम्बर 75, 79 [illegible], 83, 84, 85, 107, 113 किता 9 रकबा 30 [illegible] दिशाओं की सीमा की पत्थरगढी कर सीमांकन कराया [illegible]। पत्थरगढी हेतु तहसीलदार मावली को 500/– पांच सौ रूपये कमिश्नर शूल्क पर कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेशित किया जाता है कि सभी पक्षकारान की उपस्थिति में दिनांक 08.12.2021 को पत्थरगढी कराई जाकर पालना प्रस्तुत करे। पालना हेतु तहसीलदार मावली को लिखा जाकर पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो। फीस कमिश्नर राशि का भूगतान प्रार्थीगण अदा करेगें।

निर्णय सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Mayank Manish
Date: 2021.11.25 13:03:23 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (SDO